निर्गम-परिणाम निगरानी रुपरेखा 2021-22

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 63

1. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

वित्तीय परिव्यय ^{\$} (रुपये करोड़ में)		आउटपुट्स 2021-22			परिणाम 2021-22	
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22*	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22
7364.00 1	1. पेंशन के प्रावधान	1.1. ईपीएस के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या 1.2 डिजिटल आधार आधारित जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत	6,59,69,704	1. औद्योगिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना	1.1. पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या 1.2. ईपीएस के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने वाले श्रम बल का प्रतिशत (अंश = आउटपुट में लक्ष्य 1.1; हर = भारत में कुल श्रम बल)	**

^{\$} अस्थायी आवंटन

^{*}प्रस्तावित

^{**} सहज अनुगामी नहीं हैं, क्योंकि देश में कुल श्रम शक्ति से संबंधित आंकड़े ईपीएफओ के पास उपलब्ध नहीं हैं।

2. रोजगार सृजन कार्यक्रम

वित्तीय परिव्यय ^{\$}		आउटपुट्स 2021-22		परिण	गम 2021-22			
(रुपये करोड़ में)		_						
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य		
2021-22			2021-22*			2021-22		
19.90	क. अजा/अजजा के लिए रा	ष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) केन	द्र (पूर्व में अजा,	अजजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग	के लिए कोचिंग एवं मार्गद	र्शन)		
	1. बेरोजगार अजा/अजजा	1.1. उन लाभार्थियों की		1. बेरोजगार	1.1. रोजगार प्राप्त	5,500		
	की रोजगारपरकता में	संख्या जिन्हें रोजगारपरक	70.000	अजा/अजजा अभ्यर्थियों की	अजा/अजजा के			
	वृद्धि करना	मार्गदर्शन और कैरियर		रोजगारपरकता में वृद्धि	अभ्यर्थियों की			
		परामर्श सेवाएं दी गई है।			संख्या			
		1.2. अजा/अजजा के		2. सेवा की गुणवत्ता	2.1. लाभार्थियों से			
		बेरोजगार जिन्हें	F F00		प्राप्त सर्वेक्षण			
		नियोजनीयता संवर्धन के	5,500		आधारित फीडबैक			
		लिए प्रशिक्षण दिया गया।			स्कोर			
	ख. दिव्यांगजनों के लिए रा	ष्ट्रीय कैरियर सेवा (पूर्व रोजगार सं	वर्धन योजना)					
	इस योजना को वर्ष 2020-	21 से "स्थापना व्यय" के अंतर्गत	लाया गया है। इ	स योजना को OOMF के दा	यरे से छोड़ने का अन्रोध ।	ITIV		
	Aayog को नोट सं. DGE	ayog को नोट सं. DGE-A-11011//2019-PC (E) दिनांक 13.08.2020 द्वारा किया जा चुका है।						
900.00	ग. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्स	नाहन योजना ¹						
	1. प्रतिष्ठानों, कर्मचारियों	1.1 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत	लक्ष्य सहज	1. रोजगार सृजन और	1.1 सृजित नए	लक्ष्य		
	और सहायक वितीय	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	अन्गामी नहीं	नौकरियों की संख्या में	औपचारिक नियोजनों	सहज		
	प्रक्रियाओं को पहचान		हैं।@	बढ़ोतरी के लिए नियोजकों	की संख्या	अनुगामी		
	देना			को प्रोत्साहन देना।		नहीं हैं।		
		1.2 पीएमआरपीवाई के अंतर्गत	लक्ष्य सहज					
		लाभ पाने के लिए पंजीकृत	अनुगामी नहीं					
		प्रतिष्ठानों की संख्या	हैं।@					

वितीय परिव्यय ^{\$} (रुपये करोड़ में)	3.			परिणाम 2021-22			
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22*	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22	
57.00	घ. राष्ट्रीय कैरियर सेवा #						
	1. नियोजकों और नौकरी	1.1 पंजीकृत नौकरी के इच्छुकों	लक्ष्य सहज	1. राष्ट्रीय कैरियर सेवा:	1.1 जुटाई गईं	लक्ष्य	
	के इच्छ्क व्यक्तियों के	की संख्या	अनुगामी नहीं	राष्ट्रीय कैरियर सेवा	नौकरियों की संख्या	सहज	
	लिए डिजिटल मंच		हैं।	परियोजना एक डिजिटल	(पोर्टल के माध्यम से	अनुगामी	
	उपलब्ध कराना।	1.2 पंजीकृत नियोजकों की	लक्ष्य सहज	पोर्टल की परिकल्पना देती	भरी गई रिक्तियां)	नहीं हैं।	
		संख्या	अन्गामी नहीं	है जो नौकरी को इच्छुकों			
			हैं।	और नियोजकों को			
		1.3 ज्टाई गईं रिक्तियों की	लक्ष्य सहज	गतिशील, कुशल और			
		संख्या	अन्गामी नहीं	प्रतिक्रियात्मक रूप में	1.2 पोर्टल के		
			हैं।	नौकरी के मिलान के लिए	उपभोगताओं से सर्वे		
		1.4 वेबसाइट पर विशिष्ट हिटों	लक्ष्य सहज	नौकरी के इच्छुकों और	आधारित फीडबैक स्कोर		
		की संख्या	अन्गामी नहीं	नियोजकों के लिए राष्ट्र-			
			हैं।	व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान			
		1.5 आयोजित किए गए नौकरी	लक्ष्य सहज	करता है।			
		मेलों की संख्या	अनुगामी नहीं				
			हैं।				

^{\$} अस्थायी आवंटन

^{*}प्रस्तावित

[@] लक्ष्य सहज अनुगामी नहीं हैं

¹इस अविध के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है क्योंकि पीएमआरपीवाई के तहत पंजीकरण की समापन की तिथि **31.03.2019** थी।

[#] एनसीएस परियोजना लक्ष्य आधारित नहीं है। हालांकि, परियोजना का आउटपुट आउटरीच गतिविधियों, नौकरी मेलों एनसीएस, अभियान, आदि पर निर्भर करता है।

3. प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन

वित्तीय परिव्यय ^{\$} (रुपये करोड़ में)		आउटपुट्स 2021-22		परिणाम 2021-22				
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22*	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021- 22		
500.00	1. असंगठित कामगारों को पेंशन सेवाएं प्रदान करना	1.1 उन अभिदाताओं की संख्या जो इस वितीय वर्ष में शामिल हुए हैं। 1.2 कुल अभिदाताओं की संख्या (वर्तमान वितीय वर्ष तक संचयी संख्या)	1 करोड़ 44.68 लाख (13.11.2020 के अनुसार)	1. समावेशी सामाजिक सुरक्षा	1.1 पेंशन पा रहे लाभार्थियों की संख्या 1.2. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कुल व्यापारियों की प्रतिशतता (अंश = आउटपुट संकेतक के अनुसार कुल अंशदाता	O** लागू नहीं***		
		,			1.2; हर = भारत में व्यापारियों की कुल संख्या)			
	2. लाभ के प्रावधान में	2.1 स्कीम के लिए सीएससी में सम्मिलित	3.50 ਜਾਂਦ	2. योजना की बेहतर कार्यशीलता	2.1. सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	56		
	दक्षता	होने वाले लाभार्थियों की संख्या (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े प्रदान करें)			2.2. सुलझाई गई शिकायतों का प्रतिशत (हर : प्राप्त कुल शिकायतें)	100		

^{\$} अस्थायी आवंटन

^{*}प्रस्तावित

^{**} लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही पेंशन प्राप्त करना शुरू करेंगे।

***असंगठित श्रमिकों की कुल संख्या के संबंध में डेटा इस प्रभाग में उपलब्ध नहीं है।

4. प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन पंशन योजना 2

वित्तीय परिव्यय ^{\$}		आउटपुट्स 2021-22			परिणाम 2021-22	
(रुपये करोड़ में)						
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य
2021-22			2021-22*			2021-22
150.00	1. खुदरा व्यापारी	1.1 उन अभिदाताओं	25 लाख	1. समावेशी	1.1 पेंशन पा रहे लाभार्थियों की	0**
	समुदाय को	की संख्या जो इस		सामाजिक	संख्या	
	पेंशन सेवा प्रदान	वित्तीय वर्ष में शामिल		सुरक्षा		
	करना।	हुए हैं।		_		
		1.2 कुल अभिदाताओं	42,711		1.2. इस योजना के अंतर्गत	लागू नहीं***
		की संख्या (संचयी)	(13.11.2020 की		पंजीकृत कुल व्यापारियों की	
			स्थिति के		प्रतिशतता (अंश = आउटपुट	
			अनुसार)		संकेतक के अनुसार कुल	
					अंशदाता 1.2; हर = भारत में	
					व्यापारियों की कुल संख्या)	
	2. लाभ के	2.1 इस योजना	3.50 ਕਾਂख	2. योजना की	2.1. सुलझाई गई शिकायतों की	8
	प्रावधान में	के लिए सीएससी में		बेहतर	संख्या	
	दक्षता	सम्मिलित होने वाले		कार्यशीलता	2.2. सुलझाई गई शिकायतों का	100%
		लाभार्थियों की संख्या			प्रतिशत (हर : प्राप्त कुल	
					शिकायतें)	

² व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम

^{\$} अस्थायी आवंटन

^{*}प्रस्तावित

^{**} लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही पेंशन प्राप्त करना शुरू करेंगे।
*** व्यापारियों की कुल संख्या के संबंध में डेटा इस प्रभाग में उपलब्ध नहीं है।

5. योजना: श्रम एवं रोजगार सांख्यिकीय पद्धति (एलईएसएस)

वितीय परिव्यय ^{\$} (रुपये करोड़ में)		आउटपुट्स 2021-22		परि	रेणाम 2021-22	
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22 [*]	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22
150.00	1. सर्वेक्षण आंकड़ों का समय से एकत्र एवं जारी करना	1.1. इस वितीय वर्ष में 4 सर्वक्षण, 6 स्वीकृत सर्वेक्षणों / सूचकांकों रिपोर्ट, 4 / रिपोर्टों की संख्या 4 सर्वक्षण, 6 1.2. पूर्ण सर्वेक्षणों / सूचकांकों / रिपोर्टों की संख्या 4 सर्वक्षण, 6 1.3. समय पर पूर्ण सर्वेक्षणों/सूचकांकों/रिपोर्टों की संख्या 4 सर्वक्षण, 6 1.3. समय पर पूर्ण सर्वेक्षणों/सूचकांकों/रिपोर्टों की संख्या 4 सर्वेक्षण, 6 1.3. संकतक 1.3. संकतक		1.1 जनता को रोजगार, बेरोजगारी, वेतन, आय तथा उत्पादकता से संबंधित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराना।	1.1. वेबसाइट पर विशिष्ट विजिटर्स की संख्या 1.2. रिपोर्टी के लिए प्राप्त रोजगार आंकड़े प्राप्त करने के लिए अनुरोधों की संख्या	18.5 ਨਾ।ਦ
	2. क्षमता निर्माण	2.1 कुल अधिकारियों में से सर्वेक्षणों के प्रशासन हेतु आईटी ट्रल्स के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित श्रम ब्यूरों के अधिकारियों की संख्या 2.2 श्रम ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (प्रोबेशनर्स सहित)	2,046	2. कार्यालय कार्य में आईटी टूल्स के प्रयोग को बढ़ावा देना.	2.1. आईटी टूल्स का प्रयोग करके किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	5

वित्तीय परिव्यय ^{\$}		आउटपुट्स 2021-22		परिणाम 2021-22		
(रुपये करोड़ में)						
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22*	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22
	3. ज्ञान	3.1 जारी प्रकाशनों की संख्या	28			
	सृजन					
		3.2 प्रकाशनों को डाउनलोड	50,000			
		करने की संख्या				

^{\$} अस्थायी आवंटन

^{*}प्रस्तावित

[#] इस तरह के अनुरोधों को संचालित करने की मांग के रूप में संख्या उत्तरदायी नहीं है।

6. श्रम कल्याण स्कीम

वित्तीय परिव्यय ^{\$}		आउटपुट्स 2021-22			परिणाम 2021-22	
(रुपये करोड़ में) 2021-22	आउटपट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22	आउटपट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22
150.00	1. बीड़ी/एलएस डीएम/अभ्रक/आई ओएमसी/सिने कामगारों और उनके आश्रितजनों के लिए शिक्षा, आवास, और	1.1 शिक्षाः बीड़ी/सिने और खान कामगार कल्याण निधियों ¹ के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई		1. बीड़ी/ सिने कामगारों एवं एलएसडीएम तथा आईओएमसी खनिकों को	1.1 शिक्षाः बीड़ी/सिने और खान कामगार कल्याण निधियों के लिए छात्रवृति स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई छात्रवृतियों की संख्या	4,00,000
	स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियाँ आयोजित करना।	1.2. आवास : कुल कामगारों में से पात्र लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों की संख्या 1.3 स्वास्थ्य:	15,744	शिक्षा, आवास, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ प्रदान करना।	संख्या जिनका निर्माण	13,530 बीड़ी / एलएसडीएम
		स्वास्थ्य संघटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या ⁴			स्वास्थ्य संघटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या।	/ माइका / आईओएमसी / सिने कामगारों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।

^{\$} अस्थायी आवंटन

^{*}प्रस्तावित

[#] योजना मांग आधारित है, इसलिए लक्ष्य तय करना संभव नहीं है।

 $^{^4}$ यह प्राप्त किए गए आवेदनों पर निर्भर करती है इसलिए लक्ष्य अनंतिम हो सकते हैं।

7. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिसमें स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान शामिल है और बंधुआ श्रम को सहायता की प्रतिपूर्ति

वित्तीय परिव्यय ^{\$} (रुपये करोड़ में)	3.			परिणाम 2021-22				
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021- 22*	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22		
120.00	1. बाल श्रम से बचाए गए बच्चों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना	 1.1. विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिला लेने वाले 9-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या। 1.2. परिचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या। 1.3. क्लेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर बनाई गई परियोजना सोसाइटियों की संख्या 1.4. उन बच्चों की प्रतिशतता जिनकों मुख्य धारा शिक्षा में नामांकित किया गया है और 6 माह के बाद भी निरंतर शिक्षा ले रहे हैं। 	लक्ष्य तय करना संभव नहीं है। लक्ष्य तय करना संभव नहीं है। लक्ष्य तय करना संभव नहीं है।	1. सभी प्रकार के बाल श्रम का उन्मूलन।	1.1. बाल श्रम से हटाए गए बच्चों की संख्या। 1.2 बाल श्रम से हटाए गए बच्चों की प्रतिशतता।	50,000 लक्ष्य तय करना संभव नहीं है।		

वित्तीय परिव्यय ^{\$}		आउटपुट्स 2021-22			परि	रेणाम 2021-22	
(रुपये करोड़ में)							
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-		आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य
2021-22			22*				2021-22
	2. देश में बाल	2.1 बाल श्रम निगरानी, पता	हां	2.	खतरनाक व्यवसायों/	2.1 खतरनाक	लक्ष्य तय
	श्रम के	लगाना और रिपोटिंग प्रणाली			प्रक्रियाओं से सभी	व्यवसायों/	करना संभव
	निगरानी	का सृजन (हां/नहीं)			किशोर कामगारों को	प्रक्रियाओं से हटाए	नहीं है।
	करना और	2.2 उन जिलों की संख्या, जिनमें	लक्ष्य तय		हटाना तथा उपयुक्त	गए किशोर	
	पता	खतरनाक व्यवसायों और	करना संभव		व्यवसायों में उनको	श्रमिकों की संख्या	
	लगाना	अखतरनाक व्यवसायों और	नहीं है।		कौशल प्रदान करना	2.2 खतरनाक व्यवसायों/	लक्ष्य तय
		प्रक्रियाओं में कार्यरत			और जोड़ना	प्रक्रियाओं से हटाए	करना संभव
		बच्चों/किशोरों की संख्या के				गए किशोर श्रमिकों	नहीं है।
		संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण				की संख्या	
		कराया गया। देश में बाल श्रम				विभाजक : किशोर	
		की कुल संख्या की रिपोर्टिंग				श्रम की कुल संख्या	
		(हां/ना)					
	3. बंधुआ	3.1. उन जिलों की संख्या, जिनमें	8 जਿला	3.	बंधुआ श्रमिकों का	3.1 छोड़े गए पुनर्वासित	**
	श्रमिकों को	खतरनाक व्यवसायों और			पुनर्वास करना	बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
	छोड़ना और	अखतरनाक व्यवसायों और				का प्रतिशत (विभाजग :	
	सहायता का	प्रक्रियाओं में कार्यरत				कुल बंधुआ श्रमिक)	
	प्रावधान	बच्चों/किशोरों की संख्या के					
		संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण					
		कराया गया।					
		3.2. बंधुआ श्रम की कुल संख्या	हां				
		की रिपोर्टिंग (हां/ना)					

वितीय परिव्यय ^{\$} (रुपये करोड़ में)		आउटपुट्स 2021-22		परिणाम 2021-22			
2021-22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021- 22*	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-22	
		3.3. बंधुआ श्रमिक पुनर्वास के	100				
		तहत प्रारंभिक पुनर्वास के					
		लिए छोड़े जाने पर दी गई					
		नकद राशि के लाभार्थियों का					
		प्रतिशत (बच्चे, महिलाएं,					
		दिव्यांजगन, ट्रांसजेंडर और					
		पुरुष)					
		3.4. उन मामलों का प्रतिशत जहां	राज्य सरकार				
		निर्णय दिया जा चुका है।	से जानकारी				
		(विभाजक : वर्ष के अंत में	प्राप्त होने पर				
		मामलों की कुल संख्या)	उपलब्ध कराई				
			जाएगी।				
		3.5. कुल लंबित मामलों में से दी	राज्य सरकार				
		गई दोषसिद्धियों की संख्या	से जानकारी				
		(वर्ष के अंत में कुल लंबित	प्राप्त होने पर				
		मामलों में से)	उपलब्ध कराई				
			जाएगी।				

^{\$} अस्थायी आवंटन

^{*}प्रस्तावित

^{**} देश भर में बन्धित श्रम पद्धिति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत कानून द्वारा बंधुआ श्रम प्रणाली 25/10/1975 को समाप्त कर दिया गया था। जब बंधुआ मजदूरी का पता चलता है, तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान पुनर्वास के लिए की जाती है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। किसी भी लक्ष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

8. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

वित्तीय परिव्यय ^{\$}	3	भाउटपुट्स 2021-22			Ч	रिणाम 2021-22	
(रुपये करोड़ में)							
2024 22	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2021-	आउटपुट		संकेतक	लक्ष्य 2021-
2021-22			22*		•		22
40.00	1. मृतक सदस्यों के	1.1. पंजीकृत सदस्यों	1,20,000	1.	बागान कामगारों को	1.1. पेंशन प्राप्त	1,20,000
	परिवार को दिया गया	की कुल संख्या			सामाजिक सुरक्षा	करने वाले लाभार्थियों	
	पारिवारिक पेंशन				लाभ	की कुल संख्या	
	योजना का प्रावधान			2.	परिवार पेंशन दावों	2.1. कुल संवितरण	95%
					का समय पर	का समय पर	
					संवितरण (7 दिनों की	वितरण का %	
					भीतर)		
	2. सेवा में रहते हुए मरने	2.1 लाभार्थियों की कुल	2,310	1.	मृतक कामगार के	1.1. पेंशन प्राप्त	2,310
	वाले मृत सदस्यों के	संख्या			परिवार को दिया जाने	करने वाले परिवारों	
	परिवार को जमा बद्ध				वाला सामाजिक	की संख्या	
	बीमा योजना का				सुरक्षा लाभ		
	प्रावधान			2.	जमा बद्ध बीमा दावों	2.1. कुल संवितरण	95%
					का समय पर	का समय पर	
					संवितरण (7 दिनों के	वितरण का %	
					भीतर)		

^{\$} अस्थायी आवंटन

नोट: फैमिली पेंशन और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस क्लेम की समयबद्ध संवितरण को मापने के लिए 7 दिन का समय सही है।

^{*}प्रस्तावित